

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

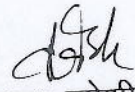
क्रमांक एफ.3(जी-974/86/लिंक.न.2083/अलेसे-11/

दिनांक:- मई 2014

कार्यालय आदेश

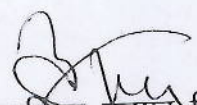
श्री गोबिन्द राम (शर्मा) पुत्र श्री सांवतराम, लेखाकार कार्यालय जिला परिषद, मनरेगा, हनुमानगढ़, (जन्म तिथि 4.08.1954) ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2014 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 08.07.2014 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निवेदन किया है । श्री शर्मा, लेखाकार का आवेदन स्वीकार करते हुये इन्हें दिनांक 08.07.2014 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोबिन्द राम शर्मा, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(जी-974/86/लिंक.न.2083/अलेसे-11/ ~~4483-4498~~ दिनांक:- 21 मई 2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, (महात्मा गांधी नरेगा) हनुमानगढ़
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर
4. श्री गोबिन्द राम शर्मा, लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, (महात्मा गांधी नरेगा) हनुमानगढ़
5. ☒ उप निदेशक, (ए.सी.पी.) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु ।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन शीट
8. निजी/गार्ड फाईल


(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गो)